

प्रेस नोट दिनांक 06.07.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा पंजाब राज्य से बिहार राज्य हेतु परिवहन की जा रही कुल मात्रा 6399 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

◆बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 12 लाख/- रुपये (बिहार राज्य के अनुसार)

चन्दौली- पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी महोदय के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब/मादक तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा मय थाना अलीनगर पुलिस टीम के संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 06.07.2025 को बिहार मद्य निषेध इकाई पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा NH-19 सिन्धीताली पुल पर पहुचकर रामनगर वाराणसी के तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात एक ट्रक वाहन का चालक पुलिस टीम को चेकिंग करता देख ट्रक चेकिंग प्वाइंट से कुछ दूरी पहले ट्रक को घुमाकर भागने का प्रयास किया कि वहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा चालक को घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया पकड़े गये अभियुक्त की पहचान सुखदेव सिंह पुत्र सुवर्ण सिंह निवासी ग्राम चम्बाखुर्द खादूर शाहीब थाना सरहाली जिला तरनतारन पंजाब उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई। ट्रक वाहन संख्या UP67T4125 को चेक किया गया तो 100 बोरी बॉल पुट्टी के नीचे उक्त वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब

1.रायल स्टेजप्रत्येक बोतल मात्रा 180 ML का 225 पेटी,(For sale in PANJAB only)

2.रायल चैलेन्जप्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML का 25 पेटी, For sale in punjab only)

3.रायल स्टेजप्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML का 270पेटी, For sale in punjab only)

4.रॉयल स्टेज प्रत्येक बोतल मात्रा 375 ML का 200पेटी, (For sale in punjab only)

कुल 720 पेटी में कुल मात्रा- 6399 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 272/25 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।-

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पंजाब राज्य से सस्ते दामों पर शराब को खरीदकर बिहार ले जाकर उँचे दामों में बेचते हैं क्योंकि बिहार में शराब में बंदी के कारण शराब की अच्छी कीमत मिल जाती है। उसके बाद लाभ के पैसे को हम दोनों बराबर बराबर में बांट लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सुखदेव सिंह पुत्र सुवर्ण सिंह निवासी ग्राम चम्बाखुर्द खादूर शाहीब थाना सरहाली जिला तरनतारन पंजाब

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं. 272/25 धारा 272/25 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

एक ट्रक वाहन संख्या UP 67 T 4125 से अवैध अंग्रेजी शराब,
रायल स्टेजप्रत्येक बोतल मात्रा 180 ML का 225पेटी,(For sale in PANJAB only),
रायल चैलेन्जप्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML का 25 पेटी, For sale in punjab only),
रायल स्टेजप्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML का 270पेटी, For sale in punjab only),
रायल स्टेजप्रत्येक बोतल मात्रा 375 ML का 200पेटी, (For sale in punjab only)
कुल योग 720पेटी , कुल योग मात्रा- 6399 लीटर अवैध शराब बरामद
100 बोरी वॉल पुट्टी

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 12 लाख रुपये (बिहार राज्य के अनुसार) है।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली
उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
हे0का0 अरविन्द भारद्वाज SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0 का0 आनन्द सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0का0 राना प्रताप सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0का0 विजेन्द्र सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0का0 रामानन्द सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0का0 प्रेम कुमार सिंह सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0 का0 मन्टू कुमार सिंह सर्विलांस जनपद चन्दौली
का0 गनेश कुमार तिवारी सर्विलांस जनपद चन्दौली
हे0का0 रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
का0 राहुल खरवार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।